# संशोधित नागरिक आदर्श अधिकार पत्र

## लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

उत्तराखण्ड, देहरादून

# प्रस्तावना

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के नागरिक को भारत सरकार द्वारा आवंटित मासिक कोटे के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड सरकार वचनबद्ध है। इस हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में राज्य सहायता दरों पर खाद्यान्न नियमानुसार कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया जाता है। इस अधिकार पत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी प्राधिकारियों की ब्यौरे दिये गये हैं। इस पुस्तिका में नागरिकों को खाद्यान्नों की पात्रता के बारे में तथा उचित दर दुकानों को पूर्ति किये जाने वाले ऐसे खाद्यान्नों की गुणवत्ता तथा मात्रा के सम्बन्ध में वितरण प्रणाली के विभिन्न चैनलों से सूचना प्राप्त करने के बारे में उल्लेख किया गया है। इस पुस्तिका में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन नागरिकों के अधिकार को भी समाहित किया गया है।

आशा है कि यह पुस्तिका लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आम उपभोक्ता को जागरूक करने में सहायक सिद्ध होगी।

# विषय सूची


| क्र. | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| अध्याय 1 | समाज के कमजोर वर्गों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यक्रम को सुप्रवाही बनाना। | 3 से 11 |
| अध्याय 2 | लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा लीकेज/विपथन को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेश। | 12 |
| अध्याय 3 | सूचना का अधिकार अधिनियम तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। | 13 से 15 |

# अध्याय-1

समाज के कमजोर वर्गों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रभावी बनाना

## नागरिक अधिकार पत्र

1. उत्तराखण्ड सरकार का नागरिक अधिकार पत्र

उत्तराखण्ड सरकार लक्षित सावर्जनिक वितरण प्रणाली को लक्षित आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक मानती है, जिसमें उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें खाद्यान्नों के मासिक कोटे की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। सरकार पूर्ण पारदर्शिता और प्रचालनों की सक्षमता तथा इसे क्रियान्वित करने वाले प्राधिकारियों की जवाबदेही के साथ लाभार्थियों के सर्वोत्तम लाभ के लिये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कियान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

2. पात्रता

फिलहाल, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समुचे मानदण्डों के अन्दर अन्त्योदय अन्न योजना और पहचान की गई गरीबी रेखा से नीचे की अन्य आबादी के अधीन पहचान किये गये निर्धनतम परिवारों को लाभ मिलता है। जहाँ तक गरीबी रेखा से उपर का सम्बन्ध है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन दिया जाने वाला लाभ समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सीमित रखा जाता है।

खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण तथा पात्रता निम्न प्रकार है :-

(अ) ए0पी0एल0 (गरीबी रेखा से उपर)

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से उपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत कार्डधारकों को पीले रंग का राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। जिस पर राशन कार्ड का मूल्य अंकित है। ग्रामीण क्षेत्रों

से राशन कार्ड बनाने का कार्य खण्ड विकास अधिकारी के दिशा निर्देशों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है एंव शहरी क्षेत्रों में तैनाती क्षेत्रवार तैनात पूर्ति निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। ए0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत वर्तमान में पूरे प्रदेश में 1806914 राशन कार्ड धारक/लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित है। इस योजना के अन्तर्गत राशन कार्ड धारकों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न/चीनी एंव मिटटी तेल का वितरण स्केल एंव उपभोक्ता मूल्य का विवरण निम्नानुसार है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>खाद्यान्न का नाम</th><th colspan="3">वितरण स्केल (कि.ग्रा.)</th><th>उपभोक्ता मूल्य</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>गेहूँ</td><td colspan="3">20.00 प्र0 कार्ड</td><td>रू0 6.60 प्र0कि0</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>चावल</td><td colspan="3">15.00 प्र0 कार्ड</td><td>रू0 8.45 प्र0कि0 कॉमन<br>रू0 8.80 प्र0कि0 ग्रेड ए</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>चीनी</td><td colspan="3">500 ग्राम प्र0 यूनिट</td><td>रू0 13.50 प्र0कि0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">4.</td><td rowspan="5">मिट्टी तेल</td><td></td><td>सिंगल गैस धारी</td><td>बिना गैस धारी</td><td rowspan="5">फुटकर 12.15 से 13.65 रू0 प्रति लीटर</td></tr>
<tr><td>सुगम</td><td>03 ली0</td><td>05 ली0</td></tr>
<tr><td>दुर्गम</td><td>05 ली0</td><td>07 ली0</td></tr>
<tr><td>अतिदुर्गम</td><td>05 ली0</td><td>10 ली0</td></tr>
<tr><td colspan="3">डबल गैसधारी को मि0तेल उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।</td></tr>
</table>

**(ब) गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0)**

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को लगभग आधे मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 से लागू की गई है। बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा जनपदवार बी0पी0एल0 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। निर्धारित लक्ष्यानुसार लाभार्थियों के चयन एंव उनके कार्ड बनाने के उपरान्त खाद्यान्न का आवंटन किया जाता है। बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को सफेद रंग के राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाते हैं जिस पर राशन कार्ड का मूल्य अंकित है। ग्रामीण क्षेत्रों में बी0पी0एल0 लाभार्थियों का चयन एंव कार्ड वितरण का कार्य सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा एंव शहरी क्षेत्र में क्षेत्रवार पूर्ति निरीक्षकों द्वारा किया जाता है ।

बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत वर्तमान में पूरे प्रदेश में 346760 राशन कार्ड धारक/ लाभार्थी लाभान्वित हो रहे है। शासन द्वारा निर्धारित वितरण स्केल एंव उपभोक्ता मूल्य निम्नानुसार है :-

| क्र0 स0 | खाद्यान्न का नाम | वितरण स्केल (कि0ग्रा0) हरिद्वार जनपद | वितरण स्केल (कि0ग्रा0) अन्य जनपद | उपभोक्ता मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गेहूँ | 19.800 प्र0कार्ड | 10.250 प्र0कार्ड | रू0 4.65 प्र0कि0 |
| 2 | चावल | 15.200 प्र0कार्ड | 24.750 प्र0कार्ड | रू0 6.15 प्र0कि0 |

पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्यान्न के फुटकर मूल्यों में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत स्थानीय परिवहन भाडा जोडकर निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अलग से समय-समय पर यथा संशोधित आदेश जारी किये जायेगें ।

(स) अन्त्योदय योजना (विस्तारित अन्त्योदय अन्न योजन सहित)

भारत सरकार के खाद्य एंव उपभोक्ता मामलें, सावर्जनिक वितरण मंत्रालय के विज्ञप्ति के क्रम में शासनादेश संख्या-254/लो0वि0प्र0-अन्त्योदय/2001 दिनांक 07 फरवरी 2001 द्वारा बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों में से निर्धनतम परिवार जो कि बी0पी0एल0 दर पर भी खाद्यान्न व्यवस्था करने में असमर्थ है, को राहत दिलाने के उद्देश्य से अन्त्योदय अन्न योजना लागू की गई है। उत्तराखण्ड में इस योजना का शुभारम्भ दिनांक 2-10-2001 को हुआ। इस योजना के अर्न्तगत बी0पी0एल0 परिवारों में से निर्धनतम आय वर्ग के परिवारों को चयनित किया गया है। अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को गुलाबी रंग के राशन कार्ड निर्गत किये जाते हैं। जिस पर राशन कार्ड का मूल्य अंकित है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों का चयन एंव कार्ड वितरण का कार्य सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा किया जाता है, एंव शहरी क्षेत्रों में पूर्ति निरीक्षक क्षेत्रवार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में 151240 राशन कार्ड धारक/लाभार्थी इस योजना से आच्छादित है शासन द्वारा निर्धारित वितरण स्केल एंव उपभोक्तानुसार मूल्य निम्न प्रकार है :-

| क्र0स0 | खाद्यान्न का नाम | वितरण स्केल (कि0ग्रा0) | उपभोक्ता मूल्य |
|---|---|---|---|
| 1 | गेहूँ | 10.460 प्र0कार्ड | रू0 2.00 प्र0कि0 |
| 2 | चावल | 24.540 प्र0कार्ड | रू0 3.00 प्र0कि0 |

(द) अन्नपूर्णा योजना (समाज कल्याण विभाग की योजना)

शासनादेश संख्या-1330/29-खा0-6-2000-33 सा0/99 दिनांक 15 अप्रैल 2000 द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जो वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र है लेकिन उन्हें पेंशन की सुविधा प्राप्त नही हो पा रही है, व पात्र व्यक्ति किसी पर आश्रित न हो, उसके पास आय का कोई स्रोत न हो, व उसकी उम्र (स्त्री या पुरूष) 65 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित पुरूष/महिला जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन नही मिलती है, की चयनित सूची जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। उक्त चयनित सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्ड कार्यालय एंव शहरी क्षेत्रों में पूर्ति निरीक्षकों द्वारा अन्नपूर्णा के लाभार्थियों को हरे रंग के राशन कार्ड जारी किये जाते हैं। वर्तमान में पूरे प्रदेश में 7,010 राशन कार्ड धारक/लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित है। प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्येक माह 10 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। अन्नपूर्णा योजना

के अन्तर्गत वितरण स्केल का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र0स0 | खाद्यान्न का नाम | वितरण स्केल | उपभोक्ता मूल्य |
|---|---|---|---|
| 1 | चावल | 10 किलो प्र0कार्ड | नि:शुल्क |

## 3. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची तथा अन्त्योदय परिवारों की पहचान

राज्य सरकार द्वारा लक्षित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की कुल अनुमानित संख्या के सम्बन्ध में, सरकार द्वारा अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार, अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे रह रहे पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करने के लिये उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी किये गये है। राज्य सरकार, ग्राम सभा तथा अन्य प्राधिकृत स्थानीय प्रतिनिधि निकाय पदनामित पदाधिकारियों द्वारा उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन क्षेत्र के सम्बन्ध में तैयार की गई गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी, जिसमें अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार भी शामिल है, की सूची को अन्तिम रूप देगी। यह सुनिश्चित करने के लिये ध्यान रखा जायेगा कि ऐसे परिवारों के लिये निर्धारित अधिकतम संख्या उपर की सीमा से अधिक न हो ।

## 4. राशन कार्ड जारी करना

1. राशन कार्ड की पात्रता बताने वाला विहित मापदण्ड और इसे जारी करने की प्रक्रिया का प्रचार व्यापक रूप से किया जायेगा और मॉंगने पर इसे प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. राशन कार्ड के लिये प्राप्त आवेदनों की विधिवत रूप से पावती भेजी जायेगी। पावती में तारीख दी जायेगी, जिसके आधार पर राशन कार्ड प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि सभी अपेक्षित जानकारी सही रूप से दी गई हो। राशन कार्ड धारकों को उपयुक्त रूप से सलाह दी जायेगी तथा उनको यह भी मार्गदर्शन दिया जायेगा कि वे आपर्तियों प्राप्त करने के लिये किस उचित दर दुकान पर अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं।
3. उन अधिकारियों के नाम,पदनाम, दूरभाष संख्या तथा पते, जिन्हें राशन कार्ड प्राप्त करने में हुये विलम्ब अथवा अस्वीकृत किये जाने के बारे में अपनी शिकायतें भेजी जा सकती है सम्बन्धित कार्यालय के परिसरों पर मुख्य रूप से प्रर्दशित किये जायेगें।
4. सभी शिकायतों तथा अन्य पत्राचार को विधिवत रूप से रजिस्टर किया जायेगा तथा यदि व्यक्तिगत रूप से दिया गया है तो उसी समय पावती दी जायेगी अथवा सात दिनों के भीतर डाक द्वारा भेज दी जायेगी। जहॉं संभव होगा, कार्यकुशलता तथा प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही और शिकायतों के निपटान को सुनिश्चित करने के लिये कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली आरम्भ की जायेगी ।

5. गरीबी रेखा से नीचे/अन्त्योदय अन्न योजना के कार्ड विहित प्रक्रिया के तहत जारी किये जायेगें और अन्त्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से नीचे के कार्डो की कुल संख्या विहित सीमा से अधिक नही होगी

6. गरीबी रेखा से उपर/गरीबी रेखा से नीचे तथा अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणियों के परिवारों को विशिष्ट रंग के अलग-अलग कार्ड जारी किये जायेगें।

7. जाली राशन कार्डो को समाप्त करने के लिये राशन कार्डो की आवधिक जॉच सुनिश्चित की जायेगी तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों का दुरूप्रयोग करने के दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी।

उत्तराखण्ड सरकार निम्नानुसार समयबद्ध तरीके से राशन कार्डो में परिवार के सदस्यों के नाम चढायेगी/काटेगी, पते में बदलाव करेगी और इन्हें अन्तरित करेगी-

| कार्य की मद | समय-सीमा | परिवर्तन करने वाला प्राधिकारी |
|---|---|---|
| 1. परिवार के सदस्यों के नाम जोडना/काटना (एरिया राशनिंग कार्यालय को अभ्यावेदन देकर) | (1) अपेक्षित प्रमाण सहित राशन कार्ड के प्रस्तुत करने पर उसी दिन (जहॉ कहीं आवश्यक हो)<br><br>(2) यदि वास्तविक सत्यापन आवश्यक है तो सात दिनों के अन्दर (जोडने के लिये) | एरिया राशनिंग कार्यालय (शहरी क्षेत्र)<br><br>ग्राम पंचायत कार्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) |
| 2. उसी उचित दर दुकान के क्षेत्राधिकारी के अन्दर पते में परिवर्तन | उसी दिन | |
| 3. उचित दर दुकान में परिवर्तन सहित पते में परिवर्तन | उसी दिन | |
| 4. अन्य शहर अथवा अन्य कहीं भी स्थानान्तरण होने पर अभ्यर्पण प्रमाण पत्र जारी करना | दो कार्य दिवस | |
| 5. राज्य के अन्दर नया राशन कार्ड जारी करना (अभ्यर्पण प्रमाण पत्र के साथ) | सात कार्य दिवस | |
| 6. राज्य में परिवर्तन होने के स्थिति में नया राशन कार्ड जारी करना (अभ्यर्पण प्रमाण पत्र के साथ | दो सप्ताह | |

## 5. निर्गम का मानदण्ड तथा निर्गम मूल्य

केन्द्र सरकार राज्य सरकार को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न सरकार द्वारा समय-समय पर तय किये मानदण्ड तथा मूल्यों पर उपलब्ध करायेगी। प्रति परिवार आपूर्ति किये जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा तथा पात्र उपभोक्ता परिवारों को वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा तय किये गये निर्गम मूल्यों की जानकारी/सूचना विभिन्न माध्यमों, जिसमें इंटरनेटर वेबसाईट पर प्रदर्शन शामिल है, द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इन्हें निरपवाद रूप से सभी उचित दर दुकानों पर प्रदर्शित किया जायेगा ।

## 6. वितरण

भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों अथवा उनके नामिती/मनोनीत एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों के वितरण की प्रक्रिया का प्रचार आम जनता की जानकारी के लिये व्यापक रूप से किया जायेगा।

भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकार को उचित औसत गुणवत्ता के खाद्यान्नों की भौतिक सुपुर्दगी, राज्य सरकार से भुगतान की पावती के एक सप्ताह के भीतर केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये आवंटनों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण हेतु सुनिश्चित करेगा। केन्द्र सरकार से खाद्यान्नों का आवंटन प्राप्त होने पर राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करते हुये जिलावार आवंटन आदेश जारी करेगी और वे उनकी उचित दर दुकानों को सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगें। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के राज्य और जिला कार्यालयों के अतिरिक्त जिलावार आवंटन राज्य सरकार की वेबसाईट पर भी प्रकाशित किया जायेगा और यदि उपलब्ध हो तो उन जिलों की वेबसाईट पर भी प्रकाशित किया जाये। यदि भारतीय खाद्य निगम एक सप्ताह में खाद्यान्न वितरित नही कर पाता है तो उसके कारण तथा खाद्यान्नों की सुपुर्दगी का अनुमानित समय राज्य सरकार को सूचित किया जायेगा।

वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाया जायेगा। राज्य सरकार जनता को उन विभिन्न भण्डारण स्थानों/गोदामों के बारे में सूचना उपलब्ध करायेगी जहाँ से खाद्यान्नों का उठान किया जायेगा और उचित दर दुकानों को भेजा जायेगा। इसमें राज्य के स्वामित्व वाले गोदाम और अन्य एजेंसियों से लिये गये गोदाम भी सम्मिलित होगें। प्रत्येक सुपुर्दगी स्थान पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न के नमूनें स्टाक की मात्रा के साथ किसी भी हितधारक (स्थानीय नागरिक तथा उनके प्रतिनिधि) हेतु जाँच के लिये उपलब्ध कराये जायेगें। हितधारकों को यह अवसर दिया जाना चाहिये कि वे नमूने की जाँच सप्ताह के एक नियत दिवस पर कर सकें। उस दिन इस प्रकार की जाँच के लिये दो घण्टे का समय निर्धारित किया जाना चाहिये।

जिला नागरिक आपूर्ति कार्यालय आवंटन आदेशों की प्रतियाँ सभी उचित दर दुकानों तथा ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं/सतर्कता समितियों/उचित दर की दुकानों की मानीटरिंग करने के लिये मनोनीत किसी अन्य निकाय को भी प्रेषित करेगा। आवंटन के ब्यौरे इस प्रयोजनार्थ पता लगाई गई वेबसाइटों पर (अधिमानत: जिला स्तर पर) उपलब्ध करायी जानी चाहिये ।

7. खाद्यान्नों की गुणवत्ता

राज्य सरकार के प्रतिनिधियों तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के नमूनों की निर्गम सें पूर्व, संयुक्त रूप से जॉच की जायेगी। जहॉ कोई राज्य सरकार संयुक्त नमूने लेने के लिये अपना प्रतिनिधि भेज पाने की स्थिति में नही है तो भारतीय खाद्य निगम विलम्ब से बचने के लिये आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद खाद्यान्नों को जारी कर सकता है।

भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार को प्रेषण के समय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिये नये मुहैया कराये गये खाद्यान्नों के स्टाक के सीलबन्ध नमूने (एक नमूना भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय/गोदाम द्वारा उनके निर्गम की तारीख से दो माह की अवधि के लिये रखा जायेगा) जारी करेगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये वे अनिवार्य जॉच करेगी जो उनके द्वारा उठायी गई पूरी मात्रा उनके गोदामों तथा उचित दर दुकानों तक पहूँच रही है। वे यह भी सुनिश्चित करेगें कि भण्डारण,पारगमन के दौरान अथवा वितरण श्रृंखला में किसी अन्य स्तर पर इसे घटिया गुणवत्ता स्टाकों द्वारा न बदला जाये।

8. उचित दर दुकानें

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यकरण उचित दर दुकानों के नेटवर्क के जरिये होता है। लाईसेसों को जारी करने की प्रक्रिया अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अनिवार्य जिन्सों के वितरण के लिये उचित दर दुकानों को प्राधिकृत करने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। लाईसेंस/प्राधिकार पत्र में वैध अवधि स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा लाईसेंस/प्राधिकार पत्र में उल्लिखित निर्देशाके के अतिरिक्त उचित दर दुकान मालिकों का निम्नानुसार कर्तव्य एंव उत्तरादायित्व निर्धारित किया जाता है जिसका पालन किया जाना उचित दर दुकान मालिकों के लिये आवश्यक है।

1. उचित दर विक्रेता लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये खुदरा निर्गम मूल्य पर राशन कार्ड धारी की पात्रता के अनुसार अनिवार्य जिन्सों की बिक्री करेगा।

2. उचित दर विक्रेता अपनी दुकान में प्रमुख स्थान पर नोटिस बोर्ड पर निम्न सूचनायें प्रदर्शित करेगा।

(क) गरीबी रेखा से उपर, गरीबी रेखा से नीचे तथा अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की संख्या

(ख) अनिवार्य जिन्सों के लिये उनकी पात्रता

(ग) निर्गम मानदण्ड

(घ) खुदरा निर्गम मूल्य

(ड) उचित दर दुकान खुलने तथा बन्द होने का समय

(च) माह के दौरान प्राप्त अनिवार्य जिन्सों का स्टाक

(छ) प्रत्येक दिन अनिवार्य जिन्सों का अथशेष तथा इतिशेष

(ज) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अनिवार्य जिन्सों की गुणवत्ता तथा मात्रा के संबध में दर्ज शिकायतों/उन्हे दूर करने के लिये प्राधिकारी

(झ) सप्ताह का समय/दिन जब नागरिक, बहियों/स्टाकों की जॉच कर सकता हो गरीबी रेखा से उपर,गरीबी रेखा से नीचे तथा अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों की सूची जॉच के लिये उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

3. उचित दर दुकान मालिक को राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित राशन कार्ड धारकों के रिकार्ड,स्टाक रजिस्टर, निर्गम अथवा बिक्री रजिस्टर आदि रखने होगें।

4. उचित दर दुकान मालिक प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को अपरान्ह 03 से 05 बजे तक ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं, सर्तकता समितियों अथवा स्थानीय नागरिक द्वारा राशन कार्ड धारकों के रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर निर्गम तथा बिकी रजिस्टर जॉच करने की अनुमति देगा।

5. उचित दर दुकान मालिक दुकान द्वारा मुहैया कराये जा रहे खाद्यान्नों के नमूने प्रदर्शित करेगा। उचित दर दुकान मालिक अनिवार्य जिन्सों की आपूर्ति के बाद राशन कार्डो को अपने पास नही रखेगा और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन यथा अपेक्षित विहित शुल्क के भुगतान पर उसके द्वारा रखे जा रहे रिकार्डो के संगत उद्धरण उपलब्ध करायेगा। प्रतियों आदि देने में किसी प्रकार की व्यावहारिक कठिनाईयों की स्थिति में रिकार्डो/नमूनों/ दस्तावेजों आदि की जाँच के लिये सुविधायें उपरोक्त प्रस्तर में उल्लिखित दिन तथा समय पर उपलब्ध करायेगा ।

## 9. निरीक्षण और जॉच

राज्य सरकार द्वारा उचित दर की दुकानों के निरीक्षण एंव मॉनीटरिंग हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं तथा उचित दर की दुकान पर निर्धारित स्टाक रजिस्टर/बिक्री रजिस्टर तथा सेलकम चैक रजिस्टर आदि अभिलेख रखने के भी निर्देश दिये गये हैं। जिलापूर्ति अधिकारियों एंव उनके अधिनस्थ पूर्ति निरीक्षकों द्वारा अपने क्षेत्र की दुकानों का प्रत्येक माह एक बार निरीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा तथा उन मुद्दों को भी निर्दिष्ट किया जायेगा, जिन पर उनके द्वारा सूचना एकत्र की जायेगी। इन निरीक्षणों के दौरान उचित दर दुकानों के जरिये सप्लाई किये जा रहे राशन की गुणवत्ता और मात्रा, उचित दर दुकान को खोलने तथा बन्द करने के समय के संदर्भ में उचित दर दुकान के सुचारू रूप से कार्यकरण, लाभभोगियों के साथ उचित दर दुकानों के मालिकों/इसके कार्यकर्ताओं के व्यवहार की जॉच की जायेगी।

## 10. उचित दर दुकानों के लाईसंस रद्द करना

राज्य सरकार द्वारा वितरण में गम्भीर अनियमितता पाई जाने तथा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी में लिप्त पाये जाने पर उचित दर की दुकान का लाईसेंस निरस्त करने के सम्बन्ध में विभिन्न शासनादेशों द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। उचित दर दुकान मालिकों द्वारा वितरण में अनियमितता किये जाने पर उनके विरूद्ध शिकायत नियमानुसार यथा स्थिति पूर्ति निरीक्षक, उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी तथा जिलाधिकारी को भी दी जा सकती है।

उचित दर की दुकान में अनियमिता पाये जाने पर ग्राम सभा की प्रशासनिक समिति के द्वारा भी दुकान के निरस्त करने की संस्तुति जिला पूत्रि अधिकारी/जिलाधिकारी को की जा सकेगी। ग्राम सभा की खुली बैठक में आरोपी विक्रेता की दुकान निरस्त करने के सम्बन्ध में तथा नये विक्रेता के नियुक्त के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जा सकता है। जिलापूर्ति अधिकारी/जिलाधिकारी ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुसार नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

## 11. सतर्कता तथा जनता की भागीदारी

राज्य सरकार द्वारा पंचायत/नगर पालिका/निगम/ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की अवधिक समीक्षा करने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार समितियों का गठन कर दिया गया है।

## अध्याय-2

### लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ करने तथा लीकेज/विपथन को रोकने के लिये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये अनुदेश

1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को जाली राशन कार्ड समाप्त करने के लिये गरीबी रेखा से नीचे/अन्त्योदय अन्न योजना सूचियों की समीक्षा करने के लिये सतत अभियान आरंभ करने चाहिये।
2. खाद्यान्नों के लीकेज-मुक्त वितरण को सुनिश्चित करने के लिये दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खण्ड 9 के अधीन सूचना राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को नियमित रूप से भेजी जानी चाहिये।
3. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता के लिये अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करने के लिये पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय नगर पालिका निकायों के चुने हुये सदस्यों व सतर्कता समितियों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिये। जहाँ तक संभव हो उचित दर दुकानों के लाईसेंस स्वंय सेवा समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों आदि को दिये जायें।
4. गरीबी रेखा से नीचे/अन्त्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से उपर को सूचियों सभी उचित दर दुकानों पर प्रदर्शित की जाये।
5. खाद्यान्नों के जिलावार तथा उचित दर दुकानवार आवंटन, जनता की संवीक्षा के लिये वेबसाईटों पर डाले जाने चाहिये तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर भी लगाये जाने चाहिये।
6. जहाँ संभव हो राज्यों द्वारा उचित दर दुकानों को खाद्यान्नों की सुपुर्दगी उनके द्वारा ही सुनिश्चित की जानी चाहिये बजाय इसके कि प्राईवेट-ट्रांसपोर्टर/थोक विक्रेता राशन जिन्सों को पहुँचायें।
7. खाद्यान्नों की प्रत्येक माह समय पर उचित दर दुकानों पर उनकी उपलब्धता तथा राशन-कार्डधारियों को उनका वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।
8. उचित दर दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।
9. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण आरंभ किया जाना चाहिये।
10. भारतीय खाद्य निगम को निधियों का इलेक्ट्रानिक अंतरण आरंभ किया जाना चाहिये।
11. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों/वाहनों के आगे तथा पीछे बैनर/बोर्डो पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त राज्य सरकार का नाम गंतव्य स्थान, जिन्स तथा एजेण्ट का नाम निर्दिष्ट किया जाना चाहिये ।
12. भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उचित दर दुकानों तक खाद्यान्नों के संचलन पर नजर रखने के प्रबन्ध किये जाने चाहिये।

# अध्याय-3

## सूचना का अधिकार अधिनियम तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों के संबध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी प्रयोग के लिये विभिन्न स्तरों पर की जाने वाले कार्यवाही इस प्रकार होगी :-

- यह सुनिश्चित करें कि सीपीआईओ,सीएपीआईओ तथा एए के पते तथा संपर्क के नम्बर पर प्रदर्शित किये जायें ।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य सभी कल्याण योजनाओं के अधीन राज्यवार किये गये आवंटनों के बारे में जानकारी भारतीय खाद्य निगम तथा उपभोक्ता मामलें, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वेबसाईटों पर डाल (लोड) दी जायेगी। यह उस नागरिक को भी उपलब्ध कराई जायेगी जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये इसके लिये अनुरोध करता है।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की वसूली के लिये गुणवत्ता संबधी मानदण्ड तथा उनके निर्गम और 'उचित' 'औसत गुणवत्ता' संबधी विनिर्दिष्टियां तथा अन्य ब्यौरे प्रदर्शित करेगी ।
- भारतीय खाद्य निगम/अन्य ऐजेंसी सभी गोदामों की अद्यतन स्टाक स्थिति वेबसाईट पर तथा गोदामों और कार्यालयों के बाहर सूचना पट्टों पर अधिसूचित करेगें। इस प्रकार की सूचना किसी नागरिक द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये ली जा सकती है।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के नमूने प्रत्येक भारतीय खाद्य निगम/एजेंसी गोदाम के परिसर में प्रत्येक सप्ताह एक विशेष दिन पर निर्दिष्ट समय पर जनता संवीक्षा के लिये उपलब्ध होगें।
- अभिलेखों के निरीक्षण की सुविधा करने के लिये, प्रत्येक भारतीय खाद्य निगम कार्यालय/ गोदाम, इस प्रकार के निरीक्षण हेतु सप्ताह में किसी कार्यदिवस के अपराह्न का समय निर्धारित करेगा ।
- सभी लेन-देनों संबधी कार्यवाही पर सूचना-भारतीय खाद्य निगम के गोदामों द्वारा खाद्यान्न की प्राप्ति तथा उन्हें रिलीज करना-सूचना पट्ट पर दैनिक आधार पर प्रदर्शित की जायेगी ।

**राज्य स्तर**

- उचित दर दुकान के लिये नये लाइसैंस देने तथा लाईसैंस प्राप्त करने के लिये पात्रता मानदण्ड प्रकाशित किये जायेगें। उचित दर दुकानों के दुकानदारों की सूची उन्हें जारी किये गये लाईसैंसो की वैध-अवधि के साथ जिला स्तर वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।

- अन्त्योदय अन्न योजना लाभभोगिया की पहचान करने तथा उन्हें राशन कार्ड जारी करने की प्रणाली वेबसाईट पर डाली जायेगी ।
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची तैयार करने तथा अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों की पहचान करने तथा उनकी पात्रता के लिये मानदंडों खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सभी जिला, उप मण्डल, ब्लाक तथा गांव स्तर के कार्यालयों के सूचना पट्टों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किये जायेगें। सूचना राज्य की राजभाषा में उपलब्ध करायी जानी चाहिये तथा नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन यथा निर्धारित शुल्क के साथ उनकी मॉग पर निरीक्षण के उपलब्ध करायी जायेगी ।
- राज्य सरकार ग्राम पंचायतों/नगर पालिका परिषदों/निगमों को लक्षित सार्वजनिक वितरणप्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की उपलब्ध, संचालन तथा गुणवत्ता के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करायेगी ।
- जिला पूर्ति अधिकारी सभी पंचायती राज संस्थाओं तथा जिला/शहर/कस्बा/ब्लाक और गॉव स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों को खाद्यान्न आवंटन संबधी आदेशों की प्रतियों पृष्ठांकित करेगें। गॉव स्तरीय सतर्कता समितियों के सदस्यों को इसकी सूचना सभी पंचायती राज संस्थाओं/उचित दर दुकानों द्वारा दे दी जायेगी ।
- सतर्कता समितियों के बारे में विस्तृत सूचना यथा उनके गठन, कार्य तथा शक्तियों नेट पर प्रदर्शित की जायें ।

**इण्टरमीडिएट स्तर पर**

इण्टरमीडिएट स्तर में राज्य स्तर अथवा क्षेत्रीय स्तर गोदाम शामिल हैं जिनके माध्यम से खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से जाने के बाद उचित दर दुकानों को भेजे जाते हैं।

- एक राशनकार्डधारी को यह अधिकार है कि वह नियत दिवस तथा समय पर विभिन्न भंण्डारण गोदामों पर उपलब्ध रिकार्डो तथा भौतिक स्टाक की संवीक्षा करें। यह सूचना राज्य भंण्डारण निगमों / भारतीय खाद्य निगम के डिपोज़ पर प्रदर्शित की जायेगी ।
- भारतीय खाद्य निगम/राज्य भण्डारण निगम डिपो से उचित दर दुकानों को खाद्यान्न जारी करने की फ्रिक्वैंसी जिला/ब्लाक खाद्य नागरिक आपूर्ति कार्यालय के सूचना पट्ट पर अंकित की जायेगी ।
- यह नागरिक अधिकार पत्र उन सभी कार्यालयों पर प्रदर्शित किये जाने चाहिये जहॉ तालुका/तहसील/मंडल स्तरों पर राशन कार्ड से संबधित कार्य किये जाते हैं। इस अधिकार पत्र बिन्दु संख्या-1,2,3 एंव 4 में अंकित दिशा निर्देश नोटिस बोर्ड पर लगाये जायेंगे ।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में यदि उपभोक्ता को किसी उचित दर दुकान मालिक द्वारा अनियमितता किये जाने पर उसके विरूद्ध शिकायत करनी हो तो निम्न अधिकारियों से शिकायत की ज़ा सकती है

ब्लाक स्तर पर - पूर्ति निरीक्षक/खण्ड विकास अधिकारी

तहसील स्तर पर- पूर्ति निरीक्षक/उपजिलाधिकारी

जिलास्तर पर- जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी

राज्य स्तर पर- अपर आयुक्त/आयुक्त

- कोई भी नागरिक, खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालयों से सार्वजनिक वितरण से संबधित फाईलों के निरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है। छूट लागू न होने की स्थिति में नागरिकों को अधिकारिता के कारणों की माँग किये बगैर इनका अवलोकन करने की छूट दी जानी चाहिये।
- कोई भी नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन भारतीय खाद्य निगम/राज्य भण्डारण निगम डिपों और मध्यस्थता गोदामों अथवा भंडारण सुविधाओं में स्टाक किये गये अनाजों के नमूनों की माँग कर सकता है। इस मामलें में, नमूने एकत्र करने तथा उन्हें सील करने हेतु नागरिक अधिकार-पत्र में निर्धारित प्रक्रिया का ही अनुसरण किया जाये तथा इसके साथ-साथ अनुरोधकर्ता, यदि वह चाहे तो नमुने एकत्र करने के दौरान स्थल पर मौजूद भी रह सकता/सकती है। नमूनों की लागत का भुगतान आवेदनकर्ता द्वारा किया जायेगा ।

उचित दर दुकान स्तर पर

- प्रत्येक उचित दर दुकान सभी संगत सूचना यथा विभिन्न आवश्यक जिन्सों के लाभभोगियों की पात्रता,निर्गम मूल्य, उचित दर दुकानदार का नाम, उचित दर दुकान का खुलने तथा बन्द होने का समय तथा दुकान का साप्ताहिक अवकाश का दिन, स्टाक की स्थिति, नागरिकों द्वारा निरीक्षण करने के लिये समय आदि को एक विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित करेगी ।
- उचित दर दुकान, राशन जिन्सों की गुणवत्ता तथा मात्रा तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभभोगियों द्वारा अपने-अपने राशन प्राप्त करने के दौरान पेश आ रही अन्य समस्याओं के संदर्भ में शिकायतें दर्ज करने के लिये प्रक्रिया भी प्रदर्शित करेगी।
- उचित दर दुकान से सम्बद्ध कोई भी उपभोक्ता अथवा स्थानीय निवासी नियत तारीख/समय पर स्टाक रजिस्टर, राशन कार्ड रजिस्टर, अन्य अभिलेख तथा उपलब्ध स्टाक का उचित दर दुकान पर निरीक्षण करने का पात्र हैं।
- उचित दर दुकान को गरीबी रेखा से नीचे तथा अन्त्योदय अन्न योजना के अपने क्षेत्राधिकार में परिवारों की विस्तृत सूची प्रदर्शित करनी चाहिये। इन सूचियों की प्रतियाँ पंचायत कार्यालय/गाँव/नगर पालिका परिषद कार्यालय के सामुदायिक हाल के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की जानी चाहिये।
- प्रत्येक उचित दर दुकान पर पृष्ठ संख्या सहित शिकायत पुस्तिका रखी जानी चाहिये तथा शिकायत पुस्तिका की उपलब्धता के बारे में उपभोक्ता और आम जनता की सुविधा के बारे में सूचित किया जाना चाहिये।
- उचित दर दुकान को अपने पास कोई राशन कार्ड नही रखना चाहिये। निरीक्षण के दौरान यदि उचित दर दुकान मालिक के पास किसी उपभोक्ता का राशन कार्ड रखा पाया गया तो उस पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।